भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1994
गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय

1994. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में हाल ही में हुई हवाई दुर्घटनाओं की कोई जाँच कराई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन हवाई दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) देश के विभिन्न भागों में हवाई दुर्घटनाओं के कारण हुई कुल मौतों और घायलों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या हवाई दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले या घायल हुए यात्रियों के परिवारों को कोई मुआवजा या सहायता प्रदान की जाती है;
(ङ) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वितरित की गई मुआवजा राशि का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पायलटों, ग्राउंड स्टाफ और अन्य संबंधित कर्मियों के लिए कोई विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(छ) क्या देश में संचालित सभी विमान आधुनिक तकनीकों से लैस हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उन्हें तकनीकी रूप में उन्नत करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और
(ज) क्या सरकार ने हवाई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड अपनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): वर्ष 2025 (आज तक) में कुल 08 दुर्घटनाएं (जिसमें 1 अनुसूचित विमान, 3 प्रशिक्षु विमान और 4 हेलीकॉप्टर शामिल हैं) रिपोर्ट की गईं हैं। इनका विवरण अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है। इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच वायुयान दुर्घटना अन्वेषन ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियमावली, 2017 के अनुसार की जा रही है।

(घ) और (ङ): हवाई दुर्घटना/घटना के कारण मृत्यु या शारीरिक चोट के मामले में यात्री या निकटतम संबंधी को मुआवजे का भुगतान विमानवहन अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। भारत ने वर्ष 2009 में विमानवहन अधिनियम, 1972

में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 का अनुसमर्थन किया है। उक्त अधिनियम के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के संबंध में यात्री की मृत्यु, सामान या कार्गो के विलंब, क्षति या हानि के मामले में मुआवजे के भुगतान करने का दायित्व वाहकों का है।

(च) से (ज): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) जारी की हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। सभी पायलटों को ओईएम (विमान विनिर्माता) द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण केवल डीजीसीए द्वारा अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ)/विमानन प्रशिक्षण संगठनों (एटीओ) में ही लिया जा सकता है। डीजीसीए अपनी वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) के तहत नियमित निगरानी के माध्यम से एफटीओ की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

ग्राउंड स्टाफ को प्रचालकों द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग मैनुअल के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। यही अन्य संबंधित कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

देश में अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन में लगे सभी विमान आधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित हैं।

भारत शिकागो कन्वेंशन, 1944 का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, कन्वेंशन के अनुलग्नकों के अंतर्गत प्रदत्त सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सुरक्षित और विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आईसीएओ द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और विनियमों का अनुपालन करते हुए समय-समय पर नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) जारी करता है।

अनुलग्नक क

वर्ष 2025 के लिए भारतीय नागरिक पंजीकृत विमानों की दुर्घटनाओं का विवरण

क्र. सं.	तारीख	स्थान	विमान का प्रकार	विमान पंजीकरण	प्रचालक का नाम	घटना का संक्षिप्त विवरण	हताहतों और घायलों की संख्या
1.	31-मार्च-25	मेहसाणा	सेसना 152	वीटी-पीबीए	ब्लू रे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	सोलो उड़ान के दौरान, प्रशिक्षु पायलट ने ईंधन के निम्न स्तर और उसके पश्चात आरपीएम में कमी की घोषणा की। तत्पश्चात विमान मेहसाणा से लगभग 5 मील दूर उतरा। विमान के दाहिने पंख के अगले किनारे का सिरा काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था।	हताहत: शून्य घायल: 01
2.	22-अप्रैल-25	अमरेली	तीनम 2008 जेसी	वीटी-वीडीएफ	विजन उड़ान प्रशिक्षण संस्थान	एक प्रशिक्षु द्वारा सोलो सर्किट और लैंडिंग उड़ान के दौरान, पाँचवें सर्किट के दौरान विमान एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लग गई और जलकर खाक हो गया।	हताहत: 01 घायल: शून्य
3.	4-मई-25	अलीगढ़	डायमंड डीए 40	वीटी-पीएनएच	पायनियर फ्लाइंग अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	लैंडिंग के दौरान विमान उछलकर रनवे से बाहर निकल गया और सोलो उड़ान के दौरान बाउंड्री दीवार से टकरा गया। विमान को काफी नुकसान पहुँचा।	हताहत: शून्य घायल: शून्य
4.	8-मई-25	उत्तरकाशी	बेल 407	वीटी-ओएक्सएफ	एयरोट्रांस एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	खरसाली हेलीपैड से झाला हेलीपैड तक चार्टर उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।	हताहत: 06 घायल: 01
5.	17-मई-25	केदारनाथ हेलीपैड	एयरबस एएस 350बी2	वीटी-केबीएस	पिनेकल एअर प्राइवेट लिमिटेड	एम्स, ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए एयरो-एम्बुलेंस उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर को लोअर केदारनाथजी हेलीपैड पर एहतियातन उतरना पड़ा और इस दौरान विमान का टेल	हताहत: शून्य घायल: शून्य

क्र. सं.	तारीख	स्थान	विमान का प्रकार	विमान पंजीकरण	प्रचालक का नाम	घटना का संक्षिप्त विवरण	हताहतों और घायलों की संख्या
						बूम अलग हो गया।	
6.	07-जून-25	सेर्सी	लियोनार्डो एडब्ल्यू119	वीटी-आरएनके	केस्ट्रेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	हेलीकॉप्टर शटल सेवाएँ परिचालित कर रहा था। हेलीकॉप्टर ने बदासु (सेर्सी) हेलीपैड से उड़ान भरी और हेलीपैड के ठीक नीचे मुख्य सड़क पर उतर गया।	हताहत: शून्य घायल: 01
7.	12-जून-25	अहमदाबाद	बोइंग बी787-900	वीटी-एएनबी	एअर इंडिया लिमिटेड	अहमदाबाद से उड़ान भरते ही अहमदाबाद के मेघानीनगर क्षेत्र में स्थित बी.जे. मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकरा गया ।	हताहत: 260 घायल: 81
8.	15-जून-25	गौरीकुंड	बेल 407	वीटी-बीकेए	आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	केदारनाथ से गुप्तकाशी तक शटल सेवा प्रदान करते समय खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया ।	हताहत: 07 घायल: शून्य

*****